-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.01.2026

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 शातिर पशु चोर गिरफ्तार, कब्जे से 5210/- रुपये व घटना मे प्रयुक्त 01 महिन्द्र पिकअप गाडी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 05.12.2025 को वादी श्री मोहम्मद हसन पुत्र मोहम्मद हाशिम निवासी मौ0 छत्ता कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा उसकी हमामपुर नहर के पास स्थित डेयरी से पशु चोरी करने के सम्बन्ध मे तहरीर दी थी जिस पर थाना नानौता पर मु0अ0स0 309/25 धारा 305ए बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 16.01.2026 को वादी मोहर सिंह पुत्र नानकू ग्राम अन्नतमऊ थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा उसके घेर ग्राम अनन्तमऊ से अभियुक्त कौसर व उसके अज्ञात साथियो द्वारा दीवार फाडकर पशु चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना नानौता पर मु0अ0सं0 14/26 धारा 331(4)/305ए बीएनएस बनाम कौसर आदि अन्य अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 309/25 धारा 305(ए) बीएनएस व मु0अ0सं0 14/26 धारा 331(4)/305ए बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 17.01.2026 की रात्री मे थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर **1. कौसर पुत्र इकराम निवासी जुड्डी थाना नकुड सहारनपुर 2. गय्यूर पुत्र गुलबहार निवासी ग्राम सिजूड थाना नानौता सहारनपुर 3. राशिद पुत्र यासीन निवासी मानकमऊ इस्लामिया मदरसे के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को संगम नहर जंधेडी डेरा पुलिया से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से चोरी की घटना मे प्रयुक्त महिन्द्रा बोलेरो पिकअप गाडी रजि0 सं0 UP11CT0682 व चोरी किये गये पशुओ को बेचकर प्राप्त की गयी धनराशि 5210 रुपये बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियोगो मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि करते हुए अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक 04/01/2026 की रात्रि हमने अनंतमऊ गांव से एक भैस व उसके बच्चे को मकान की दीवार तोडकर चोरी कर ली थी जिन्हे पशु पैठ मे ले जाकर बेच दिया था तथा दिनांक 4/12/25 की रात्रि मे हमामपुर नहर पुल के पास से एक मकान से पशु चोरी किए थे उन्हें भी पशु पैठ मे बेच दिया था । हम लोग पशु चोरी करके पिकअप गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर UP11CT0682 मे पशु चोरी करके लादकर ले जाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. कौसर पुत्र इकराम निवासी जुड्डी थाना नकुड सहारनपुर
2. गय्यूर पुत्र गुलबहार निवासी ग्राम सिजूड थाना नानौता सहारनपुर
3. राशिद पुत्र यासीन निवासी मानकमऊ इस्लामिया मदरसे के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 5210/- रुपये नगद
- घटना मे प्रयुक्त पिकअप गाडी रजि नं0 UP11CT0682

अभियुक्त कौसर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 10/21 धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 309/25 धारा 305(ए) /317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 14/26 धारा 331(4)/305(ए) /317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 20/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

अभियुक्त गय्यूर उपरोक्त आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 931/22 धारा 380/457/411 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 309/25 धारा 305(ए) /317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 14/26 धारा 331(4)/305(ए) /317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 20/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

अभियुक्त राशिद उपरोक्त आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 309/25 धारा 305(ए) /317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 14/26 धारा 331(4)/305(ए) /317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 20/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी थाना नानौता सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नीरज सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री जयवीर सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. है0का0 827 रवि कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. है0का0 820 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. का0 2032 सचिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांक- 18.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा पंतजलि के नाम कूट रचित दस्तावेज तैयार आर्डर प्राप्त करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 96 कि.ग्रा. किशमिश व 40,000/- रूपये, फर्जी सिम,मोबाईल,फर्जी पतंजलि प्रचेज आर्डर, फर्जी पतंजलि आईडी कार्ड व घटना मे प्रयुक्त कार बरामद-

अवगत कराना है कि दिनांक 23.08.2025 को वादी मुकदमा श्री प्रवीण गोटीराम कुलथे निवासी हिरवाडी पंचवटी नासिक महाराष्ट द्वारा अभियुक्त सुहैल उर्फ हेमंत पुत्र शहजाद निवासी ग्राम मीरपुर गन्देवड थाना बेहट जिला सहारनपुर द्वारा फर्जी सिम व सेकेण्ड हेण्ड मोबाईल से पंतजलि फुड की फ्रजी ईमेल आईडी बनाकर पंतजलि फुड का प्रचेज आर्डर तैयार कर मुकदमा वादी से 30 कुन्तल किशमिश का आर्डर मंगवाकर मुकदमा वादी के साथ ठगी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0स0 284/25 धारा 318(4)/316(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया था

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुये मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त गण की गिरफ्तार व बरामदगी हेतू आवश्यक आदेश निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.01.26 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा देहरादून रोड रसूलपुर पुलिया के पास से ***अभियुक्त सुहैल उर्फ हेमंत पुत्र शहजाद निवासी ग्राम मीरपुर गन्देवड थाना बेहट जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया।*** *गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 96 किलो ग्राम किशमिश व 40000/- रूपये, घटना मे प्रयुक्त की गयी कार व फर्जी सिम व सेकेण्ड हेण्ड मोबाईल व फर्जी पतंजलि प्रचेज आर्डर व फर्जी पतंजलि आईडी कार्ड बरामद हुए। उक्त अभि0 पूर्व मे भी पंतजलि फुड के नाम से प्रचेज आर्डर भेजकर इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है तथा जेल भी जा चुका है तथा भविष्य मे भी इस प्रकार की घटना की प्लानिंग कर रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुहैल उर्फ हेमंत पुत्र शहजाद निवासी ग्राम मीरपुर गन्देवड थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *96 किलोग्राम किसमिस ,*
- *01 आई डी कार्ड फर्जी पतंजलि*
- *01 प्रचेज आडर फर्जी पतंजलि आयुर्वेद ,*
- *01 मोबाइल फोन मय सिम*
- *01 कार बैलेनो रजि0न0 UK07HB9629*

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. *मु0अ0स0 201/2020 धारा 406/411/420/467/468/471 भादवि व 66 C आईटी एक्ट थाना फतेहपुर, स0पुर*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. *थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि मशकूर अली थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
3. *उ0नि0 है0का0 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
4. *है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
5. *का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
6. *है0का0 1196 गौरव चौधरी थाना फतेहपुर सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 18.01.2026

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 20.11.2025 को वादी श्री सागरनाथ पुत्र स्व0 रोहताश निवासी मौ0 आर्यनगर रामराज थाना बहसूमा मेरठ की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. मोहित कुमार पुत्र जीतसिह नि0 टाण्डामान सिह थाना बिहारीगढ स0पुर 2. संजीव कुमार पुत्र जीत सिह नि0 उपरोक्त के द्वारा वादी के भाई सिकन्दर को सार्वजनिक स्थान पर जबरदस्ती रोकर झगडा करते हुये सांप से कटवाने तथा इलाज के लिये ले जाते समय बाध्या उत्पन करना जिससे वादी के भाई की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0164/2025 धारा 105/126(2) /115(2)/351(2)/352(2) बीएनएस व 3(2)5,3(1)द/ध एससी/एसटी अधि0 पंजीकृत किया गया।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त ***संजीव कुमार उर्फ मागेराम पुत्र जीत सिह निवासी ग्राम टाण्डामान सिह थाना बिहारीगढ सहारनपुर*** *को ग्राम तोता टाण्डा नदी के पास थाना बिहारीगढ स0पुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

संजीव कुमार पुत्र जीत सिह निवासी ग्राम टाण्डामान सिह थाना बिहारीगढ सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
2. है0का0 1246 अमित कुमार थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
3. है0का0 1271 रोहित थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
4. का0 330 संदीप थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
5. का0 1557 गौरव थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।